



राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
National Institute of Design
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

क्रमांक-रा0डि0सं0म0प्र0/प्रशा/सूचना अनुभाग /1-70/2025/03

दिनांक 29.04.2025

प्रति,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

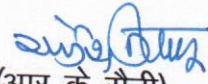
प्रसंग:-आपका ऑनलाइन अनुरोध प्रार्थना पत्र क्रमांक एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 25/ 00003 दिनांक 31.03.2025 तथा राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश को प्राप्ति दिनांक 31.03.2025 महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपके द्वारा राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश से चाही गई सूचना के क्रम में अवगत कराया जाता है कि सुश्री शिखा अग्रवाल, ऐसोसिएट सीनियर फ़ैकल्टी को नियम 14 केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत जारी ज्ञापन की विभागीय जाँच की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है जिससे सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के नियम 1 (एच) तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा पारित निर्णय क्रमांक सीआईसी/एसबी/ऐ/2016/900433 दिनांक 08.05.2017 के अनुक्रम में वांछित सूचना के प्रकट किये जाने में छूट प्रदान की गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता निम्नवत है:

श्री कृष्ण बिरमान, कुलसचिव,
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश
ग्राम अचारपुरा, पोस्ट अरवलिया
ईट खेड़ी जिला भोपाल, मध्यप्रदेश पिन 462038




(आर के सैनी)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान मध्य प्रदेश
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्यप्रदेश
National Institute of Design, Madhya Pradesh